न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— जय सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 154/2014

GCMS NO. 2014/00176

बीरबल पुत्र भगवाना जाति गूर्जर निवासी मोड़की पटवार हल्का पपुरना तहसील खेतड़ी व अन्य

.... वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

बनवारी पुत्र गोविन्दा जाति गूर्जर निवासी मोड़की पटवार हल्का पपुरना तहसील खेतड़ी व अन्य

.... प्रतिवादीगण/प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

दावा— घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. श्री नागरमल अवाना — अभिभाषक — वादीगण
2. श्री हेमराज सिंह — अभिभाषक — प्रतिवादी संख्या 1

दिनांक :— 02—12—2022

—: **निर्णय** :—

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी पुत्र गोविन्दा जाति गूर्जर निवासी मोड़की पटवार हल्का पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 19.05.2016 को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि विचाराधीन आराजी पर वादीगण का न तो कब्जा काश्त है और न ही रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी कभी भी तुलाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में नहीं रही तथा ना ही वादीगण के पिता भगवाना की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही। इसलिए उक्त भूमि पुश्तैनी नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता वादीगण को दिलवाई गई। अधिवक्ता वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे ही बहस करने का निवेदन किये जाने पर दिनांक [illegible]2016 को बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

है, का आदेश न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.12.2016 की आदेशिका पर पारित किया गया।

न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.12.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय हाजा के उक्त आदेश दिनांक 30.12.2016 को निगरानी संख्या 353/2017 के जरिये माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी संख्या 353/2017 स्वीकार कर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.12.2016 को अपने आदेश दिनांक 27.01.2017 से अपास्त कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में उठाये गये बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये आख्यापक आदेश उभय पक्ष को सुनकर सम्पूर्ण विवेचना करते हुये पारित करने हेतु निर्देशित किया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश के बारे में अधिवक्ता वादीगण को जानकारी दी गई। उस दिन से आदिन. ांक तक उक्त हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस में विचाराधीन है। अर्थात उभय पक्ष को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार सुनवाई का पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी अधिवक्ता वादीगण ने वादीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जवाब/आवश्यक राजस्व अभिलेख वाद पर पेश नहीं किया है।

अधिवक्ता वादीगण को बार–बार आदेशित किया गया कि वे वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का लिखित जवाब पेश करें व आवश्यक राजस्व अभिलेख पेश करें। इस पर अधिवक्ता वादीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे ही बहस करने का निवेदन किये जाने पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि विचाराधीन आराजी पर वादीगण का न तो कब्जा काश्त है और न ही रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी कभी भी तुलाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में नहीं रही तथा ना ही वादीगण के पिता भगवाना की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही। इसलिए उक्त भूमि पुश्तैनी नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने बहस के अन्त में कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि स्व. तुलाराम की ग्राम मोड़की में तीन खातो क्रमशः 40, 49, 85 में खातेदारी भूमि है जिसमें से ग्राम मोड़की के खाता संख्या 49 में वादीगण का हिस्सा 1/2 सही दर्ज कर दिया गया है। इसलिये इस खाते की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच कोई विवाद नहीं है। मगर ग्राम मोड़की के ही खाता संख्या 40 के कुल किता 10 कुल [illegible] 7.12 [illegible] में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/2 हिस्सा दर्ज नहीं किया [illegible] है। इस खाता संख्या 40 में केवल प्रतिवादी संख्या 1 का अकेले [illegible] दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। क्योंकि उक्त भूमि [illegible] संख्या 1 की पैतृक भूमि है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज स्व. [illegible]राम का 1/6 हिस्सा था।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

इसलिये इस खाता संख्या 40 में भी वादीगण का 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा या 1/12 हिस्सा वादीगण का दर्ज होना चाहिये था। मगर राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया है जो गैर कानूनी है एवं वादीगण के हको के खिलाफ है एवं यही असल विवाद का विषय है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण के पूर्वज स्व. तुलाराम के दो सन्तान गोविन्दाराम व भगवानाराम हुये जिनका स्व. तुलाराम की सम्पति में से हिस्सा नियमानुसार 1/2, 1/2 हिस्सा हुआ। स्वर्गीय तुलाराम के बड़े पुत्र गोविन्दाराम के एक संतान बनवारी पैदा हुआ जो प्रतिवादी संख्या 1 है एवं स्वर्गीय तुलाराम के छोटे पुत्र भगवानाराम के दो संतान बीरबल व गुलझारी हुये जो वर्तमान वाद में वादीगण है। जिनका इस खाता संख्या 40 में व खाता संख्या 85 वाके ग्राम मोड़की में हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है जो गैर कानूनी है एवं वादीगण को इससे सक्त हक तलफी है। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस के अन्त में कथन किया कि वाद का गुण–अवगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

वादीगण के द्वारा उक्त वाद मुख्यतः इस आधार पर पेश किया गया है कि ग्राम मोड़की तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 85 कुल किता 8 कुल रकबा 4.68 हेक्टेयर में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 40 कुल किता 10 कुल रकबा 7.21 हेक्टेयर भूमि में दर्ज गोविन्दा पुत्र तुलाराम का 1/6 हिस्सा तथा खाता संख्या 49 कुल किता 6 कुल रकबा 4.02 हेक्टेयर में दर्ज वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का दर्ज हिस्सा 1/2 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। खाता संख्या 49 की भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का सही दर्ज हो गया है। परन्तु खाता संख्या 40 व 85 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा सही दर्ज नहीं है, जो दुरूस्ती योग्य है।

पत्रावली के आधोपान्त परीक्षण से पाया कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि माना है तथा इसी आधार पर उक्त वाद पत्र पेश किया है। परन्तु वादीगण ने हस्तगत वाद को साबित करने के लिए ऐसा कोई भी राजस्व अभिलेख या अन्य कोई सुसंगत अभिलेख पत्रावली पर पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि हो। वादीगण का प्रथमतया यह दायित्व बनता है कि वह जिस आधार पर वाद न्यायालय के समक्ष लेकर आये है वह आधार [illegible] अन्यथा यह निश्चित है कि बिना किसी ठोस आधार के कोई भी वाद [illegible] नहीं होता है। परन्तु प्रकरण में वादीगण को पर्याप्त अवसर [illegible] भी वादीगण ने उक्त वाद पर कोई ठोस आधार या राजस्व अभिलेख [illegible] कोई सुसंगत अभिलेख पेश नहीं किया है जबकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी संख्या 353/2017 के निर्णय दिनांक 27.01.2017 में स्पष्ट किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:17 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में उठाये गये बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये आख्यापक आदेश उभय पक्ष को सुनकर सम्पूर्ण विवेचना करते हुये पारित किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश के बारे में अधिवक्ता वादीगण को जानकारी होते हुये भी न तो वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का कोई लिखित जवाब पेश हुआ और न ही राजस्व अभिलेख या अन्य कोई सुसंगत अभिलेख पत्रावली पर पेश किया जिससे यह साबित हो कि विवादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि हो। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जरिये मुख्यतः यही बिन्दु उठाया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि नहीं है।

अतः वादीगण जिस आधार अर्थात विवादग्रस्त भूमि को पैतृक मानकर यह वाद लेकर आये है, से संबंधित किसी प्रकार का राजस्व अभिलेख या अन्य कोई सुसंगत अभिलेख पत्रावली पर पेश नहीं किये जाने की विफलता के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2016 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पोषणीय होने से स्वीकार कर हस्तगत वाद संख्या 154/2014 उनवानी बीरबल आदि बनाम बनवारी आदि खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner